

पटना में दिनांक-12 दिसम्बर, 2022 सोमवार को पूर्वाह्न 11:00 बजे हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

- | | | |
|----|---|------------|
| 1. | बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना के सुगम संचालन हेतु बाईलॉ (Memorandum of Society and Rules and Regulations) के प्रारूप एवं प्रस्ताव पर स्वीकृति के संबंध में। | 1. स्वीकृत |
|----|---|------------|

नगर विकास एवं आवास विभाग

- | | | |
|----|--|------------|
| 2. | "बिहार नगरपालिका प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) मॉडल उपविधि, 2022" की स्वीकृति के संबंध में। | 2. स्वीकृत |
|----|--|------------|

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

- | | | |
|----|---|------------|
| 4. | विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अन्तर्गत संचालित भागलपुर अभियंत्रण महाविद्यालय, भागलपुर में कम्प्यूटर साईंस एण्ड इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम हेतु 05 (पाँच) अतिरिक्त शैक्षणिक पदों (सह-प्राध्यापक-02 एवं सहायक प्राध्यापक-03) तथा गया अभियंत्रण महाविद्यालय, गया एवं दरभंगा अभियंत्रण महाविद्यालय, दरभंगा में कम्प्यूटर साईंस एण्ड इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम हेतु प्रत्येक संस्थान के लिए 02 (दो) अतिरिक्त शैक्षणिक पदों (सह-प्राध्यापक-01 एवं सहायक प्राध्यापक-01) अर्थात् कुल-09 (नौ) शैक्षणिक पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में। | 4. स्वीकृत |
|----|---|------------|

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

- | | | |
|----|---|------------|
| 5. | विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अन्तर्गत संचालित दरभंगा अभियंत्रण महाविद्यालय, दरभंगा में फायर टेक्नोलॉजी एण्ड सेफ्टी पाठ्यक्रम हेतु 12 (बारह) अतिरिक्त शैक्षणिक पदों (यथा प्राध्यापक-01, सह-प्राध्यापक-03 एवं सहायक प्राध्यापक-08) एवं बख्तियारपुर अभियंत्रण महाविद्यालय, बख्तियारपुर में फायर टेक्नोलॉजी एण्ड सेफ्टी पाठ्यक्रम हेतु 06 (छः) अतिरिक्त शैक्षणिक पदों (यथा प्राध्यापक-01, सह-प्राध्यापक-01 एवं सहायक प्राध्यापक-04) अर्थात् कुल-18 (अठारह) शैक्षणिक पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में। | 5. स्वीकृत |
|----|---|------------|

विधि विभाग

6. माननीय उच्च न्यायालय, पटना की स्थापना में बेंच सेक्रेटरी के 64 (चौंसठ) स्वीकृत पदों में से दस पदों को उत्क्रमित करते हुए बेंच सेक्रेटरी संवर्ग के पुनर्गठन के संबंध में।

6. स्वीकृत

सामान्य प्रशासन विभाग

8. बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को प्रतियोगिता परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए अवसरों की सीमा के संबंध में।

8. स्वीकृत

स्वास्थ्य विभाग

9. ड्यूशेन मस्क्युलर डिस्ट्रॉफी (Duchenne Muscular Dystrophy-DMD) एवं अन्य आनुवांशिक मस्क्युलर डिस्ट्रॉफी रोग के ईलाज हेतु 18 वर्ष एवं उससे अधिक उम्र के मरीजों के पहचान एवं चिकित्सीय प्रमाणीकरण हेतु राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालय व अस्पताल के औषधि विभाग के विभागाध्यक्ष को दायित्व दिये जाने हेतु स्वास्थ्य विभाग के संकल्प संख्या-1255(18) दिनांक- 22.08.2022 में आवश्यक संशोधन की स्वीकृति के संबंध में।

9. स्वीकृत

स्वास्थ्य विभाग

10. पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल (PMCH), पटना के परिसर में (132/33 के०वी०) Green GIS ग्रिड उपकेन्द्र के अधिष्ठापन हेतु कुल रू० 2,55,89,71,000/- (रूपये दो अरब पचपन करोड़ नवासी लाख एकहत्तर हजार) मात्र की लागत पर वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्कीम (योजना) की प्रशासनिक स्वीकृति।

10. स्वीकृत

ग्रामीण विकास विभाग

11. विकास प्रबंधन संस्थान का वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2026-27 तक अवधि विस्तार एवं विस्तारित अवधि में विकास प्रबंधन संस्थान के अस्थायी कैम्पस के संचालन एवं स्थापना पर कुल संभावित व्यय रू० 98.45 करोड़ (अठानवे करोड़ पैंतालीस लाख) अनुदान की स्वीकृति।

11. स्वीकृत

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

12. औरंगाबाद जिलान्तर्गत मौजा-पिपरा, थाना सं०-152 एवं मौजा-दोसमा, थाना संख्या-521 के विभिन्न खाता एवं खेसराओं की कुल रकबा-1.7270 एकड़ गैरमजरुआ मालिक एवं बकास्त मोकरीदार बिहार सरकार की भूमि (भूमि विवरणी संलग्न, परिशिष्ट-I) सशुल्क आधार पर कुल-31,08,600.00 (एकतीस लाख आठ हजार छः सौ) रू० के भुगतान पर डी० एफ० सी० सी० आई० एल० परियोजना निर्माण हेतु डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, रेल मंत्रालय, भारत सरकार को हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

12. स्वीकृत

गृह विभाग

14. गोपालगंज जिलान्तर्गत गोपालगंज पुलिस केन्द्र में प्रस्तावित भवनों एवं परिसर, फर्नीचर, आधारभूत संरचना एवं Obstacle Course सहित के निर्माण कार्य हेतु कुल तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलित राशि ₹ 54,97,56,000 (चौवन करोड़ संतानवे लाख छप्पन हजार रू०) मात्र की नयी स्कीम की प्रशासनिक स्वीकृति देने के संबंध में।

14. स्वीकृत

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

15. राज्य क्षतिपूर्ति वनरोपण निधि अन्तर्गत राष्ट्रीय प्राधिकरण, कैम्पा, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त स्वीकृति के आलोक में ₹11541.4254 लाख (एक सौ पन्द्रह करोड़ एकतालीस लाख बेयालीस हजार पाँच सौ चालीस रुपये) मात्र के प्रशासनिक एवं व्यय की घटनोत्तर स्वीकृति।

15. स्वीकृत